राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः– प–7(1)(23)निमअ/स्टोर/बागवानी/2015–16/1578 जयपुर, दिनांकः– 15.01.19

कोटेशन का अनुरोध

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अध्यधीन विभाग में बागवानी व्यवस्था का कार्य करवाया जाना है। जिसके लिए इच्छुक फर्मो से मुहरबन्द बोलियां दिनांक 18.01.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। प्राप्त समस्त मुहरबन्द बोलियां उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदको के समक्ष उसी दिन दोपहर 12.00 बजे विभागीय उपापन समिति के द्वारा खोली जाएगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि 0.80 लाख रुपये वार्षिक होगी।

संलग्न – प्रपत्र –'अ' एवं निविदा की शर्तें

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
अति0 निदेशक, (एस.एच.जी)
एवं कार्यालयाध्यक्ष
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

क्रमांकः– प–7(1)(23)निमअ/स्टोर/बागवानी/2015–16/1579–82 जयपुर, दिनांकः– 15.01.19

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है – 17.1.19

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु .....
3. मैसर्स .....
4. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी (स्टोर)
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रपत्र – 'अ'

बागवानी व्यवस्था हेतु संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

क्र. सं.	संविदा सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जोकि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी। मय सख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर मासिक	श्रमिकों की संख्या	कुल राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बागवानी सामग्री मय बागवान (पार्ट टाइम 4 घण्टे से कम प्रतिदिन)	कुशल	3029	1	3029	13%	4.75%			

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तियां उपापन संस्था द्वारा कर दी गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जानी है।
2. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिक को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी।

हस्ताक्षर बोली दाता
फर्म का नाम एवं पता
मोबाईल नं.

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

–:: निविदा की शर्तें ::–

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 500/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी –

1. बागवानी व्यवस्था/ रख–रखाव हेतु अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जायेगा।
2. विभाग के परिसर में स्थित लोन एवं पेड़–पौधों एवं भवन के भीतर पेड़–पौधों की प्रति दिन देख–रेख करनी होगी।
3. बागवानी के दौरान समय–समय पर आवश्यकता अनुसार लोन एवं पेड़–पौधो में खाद्य एवं कीटनाशक दवाईयों की व्यवस्था बोलीदाता को ही करनी होगी।
4. पौधे लगे हुए लगभग 80 गमलों की देख–रेख एवं आवश्यकता पड़ने पर बदलने सहित लगभग 175 रनिंग फीट मौसमी फुलवारी की व्यवस्था भी बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
5. पेड़–पौधों एवं घास की कटाई माह में दो बार की जायेगी। घास काटने की मशीन एवं अन्य यन्त्र की व्यवस्था बोलीदाता को अपने स्तर पर करनी होगी, जिसका कोई भुगतान देय नही होगा।
6. बागवानी कार्य पर अनुपस्थित रहने पर आनुपातिक कटौती की जायेगी।
7. बोलीदाता अपने पूर्ण कार्य या किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
8. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार सेवाएं जारी रखनी होगी।
9. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार कार्य निष्पादन एवं भुगतान किया जायेगा।
10. श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/11905 दिनांक 07.06.2018 एवं समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा किये गये संशोधनों के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवदेक/फर्म का होगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर ऑनलाईन भुगतान (IFMS) के माध्यम से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें समाहित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार कार्य निष्पादन किया जावेगा।

हस्ताक्षर बोली दाता
फर्म का नाम एवं पता
मोबाईल नं.